12-4-12

बिहार सरकार

निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांकः– 12-4-12

विषयः– सर्वश्री देवांश मोर्डन ब्रिवरीज लि0, पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिकी (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012–2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1299 दिनांक 3.4.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है **सर्वश्री देवांश मोर्डन ब्रिवरीज लि0, पटना** द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित **बीयर** के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्रमांक	**लेबुलों का नाम**	**मात्रा (एम0 एल0 में)**	**पूर्व का निबंधन सं0 एवं वर्ष**	**वर्ष 2012–13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष**
1	गॉड फादर स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी0भी0 के अंदर)	650	2244/11-12	2244/12-13
2	तदैव	500 (केन)	2245/11-12	2245/12-13
3	तदैव	330 (केन)	2246/11-12	2246/12-13
4	गॉड फादर प्रिमीयम स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी0भी0 के अंदर)	650	N 2436/11-12	2436/12-13

शर्त्ते :–

1. उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि **दिनांक 31.03.2013** तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व **वर्ष 2012–13** के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
2. वार्षिक संभावित बिकी से अधिक बिकी होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
3. प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी **"ड्रींकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल एवं** सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
4. अन्य शर्त्ते एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3/एफ2–140–ले0 नि0–04/2010 2045 पटना, दिनांकः– 12-4-12

प्रतिलिपिः–सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी0एस0बी0सी0एल0, पटना/ प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री **देवांश मोर्डन ब्रिवरीज लि0, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।